प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

26 अगस्त 2021

भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना

रिज़र्व बैंक द्वारा 5 जनवरी 2021 को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) की अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) के नियोजन को प्रोत्साहित करना था।

रिज़र्व बैंक ने अब टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के हिस्से के रूप में पहचाने गए स्ट्रीट वेंडर्स को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब तक की तरह टियर-3 से टियर-6 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर वालों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता रहेगा।

पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने के इस निर्णय से रिज़र्व बैंक के आरंभिक स्तर पर डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/747